संख्या-46/2023/507/23-9-2023/001-23-9002(001)/6/2022

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 03 मार्च, 2023

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-28 योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-28 योजनान्तर्गत तालिका में उल्लिखित विभिन्न जनपदों के कुल 49 ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु कुल लम्बाई 80.19 कि0मी0, 5 वर्षीय अनुरक्षण लागत सहित कार्यों की कुल लागत रू0 60,64,82,000/- (रूपये साठ करोड़ चौसठ लाख बयासी हजार मात्र) (जिसमें 6.875 प्रतिशत अधिकष्ठान व्यय, एक प्रतिशत लेबर सेस व 1.50 प्रतिशत मूल्य ह्रास निधि एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष स्तम्भ-9 के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में रू0 30,32,51,000/-(रूपये तीस करोड़ बत्तीस लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई(कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	445/32पी0जे0 दि0 17.11.22	सन्तकबीर नगर	बरहटा से सतौहा सम्पर्क मार्ग	1.500	144.90	13.39	158.29	79.15
2	446/32पी0जे0 दि0 17.11.22	जौनपुर	भदखिन ठकुरान बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.550	86.86	7.95	94.81	47.41
3	446/32पी0जे0 दि0 17.11.22	जौनपुर	देहुआ प्रजापति और पटेल बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.800	86.93	7.96	94.89	47.45
4	446/32पी0जे0 दि0 17.11.22	जौनपुर	पचवल खोभार बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.650	87.51	8.01	95.52	47.76
5	446/32पी0जे0 दि0 17.11.22	जौनपुर	बेलगहन यादव बस्ती -1 सम्पर्क मार्ग	1.300	65.38	5.98	71.36	35.68
6	444/32पी0जे0 दि0 17.11.22	सीतापुर	गुरूदासपुर सम्पर्क मार्ग	1.000	96.18	8.80	104.98	52.49
7	454/32पी0जे0 दि0 21.11.22	गोण्डा	ग्राम छाछपारा में नहर पटरी सुखलालपुरवा इमलिया किशुन तिवारी पुरवा तक सम्पर्क मार्ग	3.200	262.47	24.27	286.74	143.37
8	454/32पी0जे0 दि0 21.11.22	गोण्डा	दुर्जनपुर बलेश्वरगंज प्रधानमंत्री रोड से गड़रियनपुरवा होते हुए अयोध्या पुरवा तक सम्पर्क मार्ग	2.700	226.71	20.96	247.67	123.84
9	454/32पी0जे0 दि0 21.11.22	गोण्डा	महादेव सिसवरिया कि0मी0-8 से किनकी तक सम्पर्क मार्ग	2.600	196.24	18.14	214.38	107.19
10	454/32पी0जे0 दि0 21.11.22	गोण्डा	ग्राम पंचायत मलारी में मोफिया व चिरैयापुर सम्पर्क मार्ग से कर्ता हलाई	1.700	135.95	12.57	148.52	74.26

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	मुख्य अभियंता (मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई(कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			मलारी होते हुए गड़वलिया पोखरा तक सम्पर्क मार्ग					
11	454/32पी0जे0 दि0 21.11.22	गोण्डा	भग्गू पुर से होते हुए कहारनपुरवा होते हुए कुर्मीचक्रदास पुरवा से काईली समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग	5.250	416.15	38.47	454.62	227.31
12	454/32पी0जे0 दि0 21.11.22	गोण्डा	पेरा गांव से देवीबक्स इन्टर कालेज होते हुए खालेपुरवा तक सम्पर्क मार्ग	5.250	423.13	39.12	462.25	231.13
13	459/32पी0जे0 दि0 22.11.22	वाराणसी	राजस्व ग्राम कठिरांव में चैहान बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	1.305	83.43	7.64	91.07	45.54
14	459/32पी0जे0 दि0 22.11.22	वाराणसी	ग्राम सभा बन्देपुर मे बन्देपुर करसड़ा मार्ग कि0मी0-1 से सामान्य बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.000	36.21	3.31	39.52	19.76
15	468/32पी0जे0 दि0 23.11.22	संतकबीर नगर	घनघटा विडहर घाट मार्ग से खालेपुरवा होते हुये एम0बी0डी0 बंधे तक कडी का निर्माण	1.200	126.69	12.67	139.36	69.68
16	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	गाजीपुर	ग्राम चांवर से यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	1.100	63.09	5.78	68.87	34.44
17	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	गाजीपुर	हरिजन बस्ती (रूपन का पुरा) सम्पर्क मार्ग	1.280	85.36	7.81	93.17	46.59
18	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	गाजीपुर	बल्लीपुर सम्पर्क मार्ग	1.900	142.97	13.22	156.19	78.10
19	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	बरईपार सुजानगंज (अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0 2 से कान्हापुर अढनपर मार्ग के कि0मी0-3 से आयर सम्पर्क मार्ग	1.900	111.28	10.19	121.47	60.74
20	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	चैकिया आरा (ओ0डी0आर0) के कि0मी0-2 से पारापट्टी सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-4 से पारापट्टी यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.000	51.53	4.72	56.25	28.13
21	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	चैकिया आरा मार्ग (ओ0डी0आर0) के कि0मी0-6 से समोधीपुर चैहान बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.200	74.22	6.80	81.02	40.51
22	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	सरायमोहद्दीनपुर पट्टीनरेन्द्रपुर (अन्य जिला मार्ग) कि0मी0-9 से ईसापुर कोहवा सम्पर्क मार्ग	1.200	72.94	6.68	79.62	39.81
23	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	छबीलेपुर बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.200	68.11	6.23	74.34	37.17
24	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	लुम्बनी दृद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम सरायख्वाजा नई बस्ती सम्पर्क मार्ग	2.400	142.51	13.18	155.69	77.85
25	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	बटाऊबीर-सिंगरामऊ (ओ0डी0आर0) के कि0मी0-9 से दायें कुशहां बाजार से गोनौली यादव बस्तीं द्वितीय सम्पर्क मार्ग	1.400	78.12	7.15	85.27	42.64
26	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	बटाऊबीरनौपेडवां-मई- (ओ0डी0आर0) के कि0मी0-5 से बायें डंडवा पिच मार्ग के अन्त से दायें डउवा हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.600	91.34	8.36	99.70	49.85
27	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	लुम्बनी दृद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम सरायख्वाजा भकुरा मोड़ सम्पर्क मार्ग	1.600	92.47	8.47	100.94	50.47
28	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	ग्राम सभा जर्रो में गुलाब गौतम हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.100	59.72	5.47	65.19	32.60
29	436/32पी0जे0 दि0	जौनपुर	लुम्बनी दृद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग से	1.300	83.26	7.62	90.88	45.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.	मुख्य अभियंता (मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई(कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15.11.22		ग्राम सरायख्वाजा जमालुद्दीनपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग					
30	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	हड़ही बिन्द बस्ती सम्पर्क मार्ग	2.100	139.27	12.88	152.15	76.08
31	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	प्रयागराज गोरखपुर (राजय मार्ग सं0-7) के कि0मी0 103 से हरी का पूरा (पिलकिछा) सम्पर्क मार्ग	1.200	68.71	6.29	75.00	37.50
32	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	मुजाकिरपुर प्रजापति/निषाद बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.050	60.77	5.56	66.33	33.17
33	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	प्रयागराज गोरखपुर (राज्य मार्ग सं0-7) के कि0मी0 102 कलेजलं परजं टड़िया स0मा0 से बियसिया मल्लाह छोटी (पिलकिछा) सम्पर्क मार्ग	1.250	71.76	6.57	78.33	39.17
34	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	पट्टी दसगरपार पिलकिछा मार्ग (ओ0डी0आर0) के कि0मी0-9 से डिहिया (गड़ेरान) सम्पर्क मार्ग	1.400	80.32	7.35	87.67	43.84
35	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	शिकारपुर-बैजारामपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0-4 से बायें मोमिनपुर सम्पर्क मार्ग	1.200	69.84	6.40	76.24	38.12
36	436/32पी0जे0 दि0 15.11.22	जौनपुर	गडैला हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.000	57.77	5.29	63.06	31.53
37	425/32पी0जे0, दि0 02.11.2022	खीरी	बसन्तापुर डाईवर्जन मार्ग(अ0जि0मा0) के कि0मी0 12 से खरवहिया नं0 1 होते हुए बाजारपुरवा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 1 से दुर्गापुर (राजस्व ग्राम-चकनापुर) सम्पर्क मार्ग	1.250	141.66	13.10	154.76	77.38
38	455/32पी0जे0 दि0 21.11.22	फतेहपुर	खजुहा अमौली मार्ग (ओ0डी0आर0) के कि0मी0-19 से पहाड़ीपुर (मोमिनपुर) सम्पर्क मार्ग	1.260	88.19	8.07	96.26	48.13
39	435/32पी0जे0, दि0 15.11.2022	प्रयागराज	बादलपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.700	103.69	9.49	113.18	56.59
40	435/32पी0जे0, दि0 15.11.2022	फतेहपुर	फतेहपुर आदमपुर मार्ग के कि0मी0 10 के शमशेर का पुरवा सम्पर्क मार्ग।	1.595	97.94	8.97	106.91	53.46
41	435/32पी0जे0, दि0 15.11.2022	फतेहपुर	हथगांव पट्टीशाह मार्ग से निकलने वाले कूधन सम्पर्क मार्ग कि0मी0 1 से करबला दादगी सम्पर्क मार्ग।	1.400	107.50	9.84	117.34	58.67
42	435/32पी0जे0, दि0 15.11.2022	फतेहपुर	जमरावॉ मटियारा मार्ग से उदई का पुरवा/सिक्का का पुरवा सम्पर्क मार्ग।	1.400	82.31	7.53	89.84	44.92
43	435/32पी0जे0, दि0 15.11.2022	फतेहपुर	हरकरनपुर सम्पर्क मार्ग।	2.000	117.34	10.74	128.08	64.04
44	435/32पी0जे0, दि0 15.11.2022	फतेहपुर	हथगांव पट्टीशाह मार्ग के कि0मी0 8 से मोहबलीपुर सम्पर्क मार्ग।	1.000	63.25	6.28	69.53	34.77
45	365/32पी0जे0, दि0 11.10.2022	प्रयागराज	नटान पुरा बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.500	105.34	9.74	115.08	57.54
46	430/32पी0जे0, दि0 07.11.2022	बहराइच	सेमरा सम्पर्क मार्ग(राजस्व ग्राम-रामनगर सेमरा) सम्पर्क मार्ग।	1.000	76.70	7.02	83.72	41.86
47	460/32पी0जे0, दि0 22.11.2022	गोरखपुर	रामनगर कडजहा तरकुलानी रेगुलेटर मार्ग के कि0मी0 2 से सैना टोला मार्ग से फेलहवा सम्पर्क मार्ग।	1.300	125.46	11.48	136.94	68.47
48	432/32पी0जे0, दि0 10.11.2022	प्रयागराज	भोगवारा मार्ग से भुरई का पूरा सॉवडीह सम्पर्क मार्ग।	1.200	95.11	8.71	103.82	51.91
49	455/32पी0जे0 दि0 21.11.22	प्रतापगढ़	पंडितान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.200	108.10	9.90	118.00	59.00
			योग	**80.19**	**5552.69**	**512.13**	**6064.82**	**3032.51**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) प्रश्नगत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा समक्ष स्तर से तनकीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्यों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा)अनु02 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तवित रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

(9) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नाबार्ड की शर्तों एवं योजना की गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(10) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है तो उसके निरस्तीकरण का प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई बसावट पूर्व से ही किसी मार्ग से जुड़ा हुआ है तो उस पर द्विरावृत्ति का कार्य होता है तो उसकी वसूली संबंधित अधिकारी से की जायेगी।

(14) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(15) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(16) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04 नवम्बर, 2022 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(17) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,32,51,000 (रुपये तीस करोड़ बत्तीस लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376600 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-567-X-2022-23, दिनांक- 17 फरवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
11- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
13- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in